

राजस्थान सरकार
उद्योग (युप-2) विभाग

क्रमांक प. 15 (9) उद्योग/2/1994

जयपुर, दिनांक 26/12/2017

: आज्ञा :

राजस्थान उद्योग सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक को अपराह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री लक्ष्मीचन्द जैन	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	मुख्यालय, जयपुर	13.07.1958	31.07.2018
2.	श्री मधुसूदन शर्मा	संयुक्त निदेशक, उद्योग	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण)	22.09.1958	30.09.2018
3.	श्री शिवचरण मथुरिया	संयुक्त निदेशक, उद्योग	जिला उद्योग केन्द्र, भिवाडी	25.12.1958	31.12.2018
4.	श्री रामकेशोर बगडिया	उप निदेशक, उद्योग	जिला उद्योग केन्द्र, सीकर	01.07.1958	30.06.2018
5.	श्री हरीश कुमार गहलोत	सहायक निदेशक, उद्योग	जिला उद्योग उपकेन्द्र, सुजानगढ (चुरु)	02.02.1958	28.02.2018
6.	श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता	सहायक निदेशक, उद्योग	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर)	02.05.1958	31.05.2018
7.	श्री रामजीलाल बैरवा	सहायक निदेशक उद्योग	जिला उद्योग केन्द्र, झालावाड	03.07.1958	31.07.2018
8.	श्री रमेशचन्द राणा,	सहायक निदेशक, उद्योग	जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाडा	06.07.1958	31.07.2018
9.	श्री घनश्याम वर्मा	सहायक निदेशक, उद्योग	जिला उद्योग केन्द्र जयपुर (शहर)	15.07.1958	31.07.2018
10.	श्री कैलाश चन्द सैनी	सहायक निदेशक, उद्योग	जिला उद्योग केन्द्र जैसलमेर	05.09.1958	30.09.2018

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त सभी अधिकारी अपने पद पर नियमित नियुक्ति के अन्तर्गत कार्यरत है। इनकी नियुक्ति किसी अवकाश संचित रिक्ति के विरुद्ध नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(दुर्गा जोशी)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।।
3. जिला कलक्टर, जयपुर/भिवाडी/सीकर/चुरु/झालावाड/बांसवाडा/जैसलमेर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप निदेशक, राज्य बीमा प्रावधानी निधि विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, जयपुर/भिवाडी/सीकर/चुरु/झालावाड/बांसवाडा/जैसलमेर।
8. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, संबंधित।
9. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/एसीआर सैल) विभाग।
10. संबंधित अधिकारीगण
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव